



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928



सं०-६१७-जं०श० प्र०सु० एवं प्रशि०/2025-02-जं०श० प्र०सु० एवं प्रशि०/ 2025

दिनांक 23.07.2025

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-412-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2025-10-का०वि०नी०/ 24, दिनांक 15.05.2025 द्वारा कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों के नियमित कार्मिकों हेतु निर्गत उच्च शिक्षार्थ नीति/योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिये जाने के लिए कारपोरेशन के का०ज्ञा०सं०-1/15850/2025-जं०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01 दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुक्रम में निम्नलिखित कार्मिकों को प्रायोजित किये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/ सैप आई०डी०/ वर्तमान तैनाती	कोर्स का नाम व फीस	संस्था का नाम
1.	श्री रजत मोहन यादव, सहायक अभियन्ता (11006637), आई०टी० यूनिट. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।	M. Tech (Artificial Intelligence) Total Fees:-Rs. 2,31,400/- (Approx)	IISC Bangalore
2	श्री शिवम रावत, सहायक अभियन्ता (11004827), वि०वि०उप०-कोसी, मथुरा जोन, दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०।	M. Tech (Electrical- Power Systems) Total Fees: Rs 2,97,600/- (Approx)	IIT Roorkee
3	श्री दीपक अग्रवाल, सहायक अभियन्ता (11008015), Electricity Testing & Commissioning division-1, पनकी, कानपुर, उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि०।	M. Tech (Electrical Engineering) Total Fees: Rs 2,97,600/- (Approx)	IIT Roorkee
4	श्री शुभम त्यागी, सहायक अभियन्ता (11003380), वि०वि०उपखण्ड अनवरपुर, वि०वि०क्षेत्र, बुलन्दशहर, पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०।	M. Tech (Electrical- Power Systems) Total Fees: Rs 2,53,000 /- (Approx)	Delhi Technological University

5	श्री हिमांशु साहू, अधिकासी अभियन्ता (वाणिज्य), (11002322), किदवई नगर, केस्को, कानपुर।	M.B.A (Power Management) Total Fees: Rs 18,10,900/- (Approx)	University of Petroleum and Energy Studies (UPES), Dehradun, Uttarakhand
6	श्री राहुल मौर्य, अधिकासी अभियन्ता (11007243), विद्युत पारेषण खण्ड- चतुर्थ, प्रयागराज, उ०प्र० पा०टू०का०लि०।	M.B.A (Power Management) Total Fees: Rs 18,10,900/- (Approx)	University of Petroleum and Energy Studies (UPES), Dehradun, Uttarakhand
7	श्री अनुज कुमार अधिकासी अभियन्ता (11007944), विद्युत नगरीय वितरण खण्ड राजभवन, लखनऊ, मध्यांचल वि०वि०नि०लि०।	M.B.A. (Strategic finance Management) Total Fees: Rs 20,26,900/- (Approx)	University of Petroleum and Energy Studies (UPES), Dehradun, Uttarakhand
8	श्री शोभित श्रीवास्तव, अधिकासी अभियन्ता (11001876), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।	M. Tech (Electrical Power Systems) Total Fees: Rs 2,53,000 /- (Approx)	Delhi Technological University

उपरोक्त कार्मिकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रायोजन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगा:-

1. उच्च शिक्षार्थ नीति/योजना के अन्तर्गत कारपोरेशन द्वारा प्रायोजित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) अथवा अधिकतम ₹ 20 लाख, जो भी कम हो, को प्रायोजित किया जायेगा। किसी पाठ्यक्रम विशेष हेतु संस्थान में यदि समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) ₹ 20 लाख से अधिक देय है, तो ऐसी स्थिति में ₹ 20 लाख से अधिक धनराशि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
2. प्रायोजित कार्मिकों को अध्ययन पर गमन से पूर्व ₹ 100/- मूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टैम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र (अनुबन्ध/बॉण्ड) देना होगा कि वह प्रश्नगत अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात कम से कम 05 वर्ष तक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं सहयोगी वितरण निगमों में कार्य सुनिश्चित करेंगे।
3. उपरोक्त बिन्दु (2) में उल्लिखित 05 वर्ष की अवधि में कार्मिक को किसी भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थानों में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति तथा प्रतिनियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत नहीं किये जायेंगे। किन्तु यदि कार्मिक उपरोक्त निर्धारित 05 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पूर्व किसी अन्य संस्थान में नियुक्ति हेतु इच्छुक होगा, तो ऐसी स्थिति में उसे कारपोरेशन की सेवा से निःशर्त त्याग-पत्र देना होगा एवं उच्च शिक्षा हेतु कारपोरेशन द्वारा वहन/प्रायोजित की गई कुल धनराशि को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के संगत खाते में जमा करना होगा, तदुपरान्त ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रकरण को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
4. उक्त उच्च शैक्षिक योग्यता का उपयोग आवश्यकतानुसार कारपोरेशन कार्यहित में किया जायेगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त वैतनिक लाभ, पदोन्नति में वरीयता का लाभ अथवा अन्य कोई वित्तीय या सेवा शर्तों का लाभ देय नहीं होगा।
5. कार्मिक यदि शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी भी पारिवारिक/अन्य कारणों से पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं अथवा अध्ययन पूर्ण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के भीतर यदि कारपोरेशन की सेवा से पदच्युत किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कारपोरेशन द्वारा उच्च शिक्षा हेतु व्यय की गई कुल धनराशि की वसूली भी सम्बन्धित कार्मिक से की जायेगी।

6. प्रायोजित किये गये कार्मिकों को अध्ययन अवधि में ड्यूटी पर मानते हुए नियमानुसार वेतन देय होगा। इस नीति के तहत अध्ययन अवधि को पदोन्नति, ए0सी0पी0 एवं वेतनवृद्धि की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
7. उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में कार्यरत कार्मिकों को प्रायोजित किये जाने हेतु होने वाले व्यय को उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० द्वारा वहन किया जायेगा।
8. चयनित कार्मिकों द्वारा कोर्स हेतु फीस का भुगतान करने के उपरान्त सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ इस धनराशि की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवेदन प्रेषित किये जायेंगे।
9. चयनित कार्मिकों द्वारा सम्बन्धित कोर्स को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई समयावधि विस्तारित नहीं की जायेगी।
10. कार्यालय ज्ञाप संख्या-412-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2025-10-का०वि०नी०/24, दिनांक 15.05.2025 की सभी शर्तें उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के प्रायोजित कार्मिकों पर भी लागू होगी।

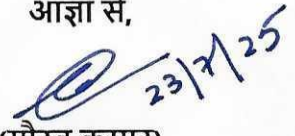
**निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**

संख्या-67-ज०श०प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/लखनऊ /आगरा /मेरठ/कानपुर।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वितरण/वाणिज्य/आई०टी०/का०प्ला०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ।
7. निदेशक (तकनीकी), कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि० (केस्को), कानपुर।
8. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)/संयुक्त सचिव (01/02), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (आई०टी०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन-विस्तार, लखनऊ।
12. उप सचिव (पारेषण-द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।
13. लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
14. चयनित अधिकारीगण।

आज्ञा से,


(गौरव कुमार)

संयुक्त सचिव (ज०श० प्रशि० एवं कार्य)